# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी : श्री शकुन्तला चौधरी आरएएस

**प्रकरण सं0 : 48/2022**

1. सुनील कुमार पुत्र ईश्वरसिंह जाति मेघवाल निवासी भाडी त0 भादरा।

:– वादी

व ना म

1 ईश्वरसिंह पुत्र मोमन जाति मेघवाल निवासी भाडी त0 भादरा।

2 रामदेई पुत्री ईश्वरसिंह जाति मेघवाल निवासी भाडी त0 भादरा।

3 निर्मला पुत्री ईश्वरसिंह जाति मेघवाल निवासी भाडी त0 भादरा।

4 चांदकोरी पुत्री ईश्वरसिंह जाति मेघवाल निवासी भाडी त0 भादरा।

5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सतवीर बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री धर्मपाल बैरवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी के खाता सख्या 190/101 के खसरा सं0 421 की 0.2020है0, खसरा सं0 424 की 0.1270है0, खसरा नं. 427 की 6.4260है0, खसरा सं. 438 की 1.7080है0, खसरा सं. 470 की 7.4630है0 खसरा सं. 473 की 6.6410है कुल 22.5670है0 वारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 ईश्वरसिंह के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 ईश्वरसिंह अकेले के बजाय वादी सुनिल को 4/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 ईश्वरसिंह को 1/5 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष मे त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 12.3.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(शकुन्तला चौधरी) भादरा
(फास्ट ट्रैक)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी : श्री शकुन्तला चौधरी आरएएस

**प्रकरण सं0 : 48/2022**

1. सुनील कुमार पुत्र ईश्वरसिंह जाति मेघवाल निवासी भाडी त0 भादरा।

:– वादी

व ना म

1 ईश्वरसिंह पुत्र मोमन जाति मेघवाल निवासी भाडी त0 भादरा।

2 रामदेई पुत्री ईश्वरसिंह जाति मेघवाल निवासी भाडी त0 भादरा।

3 निर्मला पुत्री ईश्वरसिंह जाति मेघवाल निवासी भाडी त0 भादरा।

4 बांदकोरी पुत्री ईश्वरसिंह जाति मेघवाल निवासी भाडी त0 भादरा।

5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

**दावा बाबत : ईस्तकरार हक**

**अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955**

**उपस्थिति** : वकील श्री सतवीर बैनीवाल : **वादी**

वकील श्री धर्मपाल बैरवाल: **प्रतिवादीगण**

**निर्णय** **दिनांक : 12.3.2022**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भाडी के खाता संख्या 190/101 के खसरा सं0 421 की 0.2020है0, खसरा सं0 424 की 0.1270है0, खसरा नं. 427 की 6.4260है0, खसरा सं. 438 की 1.7080है0, खसरा सं. 470 की 7.4630है0 खसरा सं. 473 की 6.6410है कुल 22.5670है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 ईश्वरसिंह के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता मोमन की खातेदारी हुआ करती थी। मोमन के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 ईश्वरसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्म से हक एव अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करन से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। व प्रतिवादी सं 5 को तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली मे साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी मे पीडब्ल्यु सुनील कुमार पुत्र ईश्वरसिंह जाति जाट निवासी भाडी के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम भाडी खाता संख्या 190/101 प्रदर्श 1, जमाबंदी भाडी खाता सं 119/111 प्रदर्श 2, सदस्यता प्रमाण पत्र ग्राम पचायत भाडी प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।



Scanned with CamScanner

साक्ष्य वादी मे विनोद कुमार पुत्र मुखराम जाति मघवाल निवासी बोझला के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य मे सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम बोझला प्रदर्श 1 जमाबंदी बोझला की पैतृक कृषि भूमि प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3, नामान्तकरण रजिस्टर बोझला सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौरान बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीकी दादलाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हको पर विपरित असर पडता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम बोझला के राजस्व रिकार्ड मे अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 3 में वारिसप्रमाण पत्र में अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि बोझला के खाता सं 110/91 के खसरा सं 1/1 की 2.6460है0, खसरा सं 20 की 2.2890है0, खसरा संख्या 205 की 1.8020 है0 कुल 6.7370है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज में से वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी स 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

## क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बोझला के खाता सं 110/91 के खसरा सं 1/1 की 2.6460है0, खसरा सं 20 की 2.2890है0, खसरा संख्या 205 की 1.8020है0 कुल 6.7370है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है उक्त वर्णित वाद भूमि में से प्रतिवादी सं0 मुखराम अकेले के बजाय वादीगण सं 1 विनोद कुमार, वादीगण सं0 2 सुरेश कुमार, व प्रतिवादी सं0 1 मुखराम को बहिस्सा बराबर 1/3–1/3 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चुंकि प्रतिवादी स0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.3.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(शकुन्तला चौधरा)
(फास्ट ट्रेक)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner